(वाद सं0– 5362/4/20/2022)

08.08.2023

परिवादी, संतलाल ऋषिदेव, उपस्थित है।

परिवादी को सुना व संचिका का अवलोकन किया।

प्रसंगाधीन मामला, परिवादी, साकिन–दिग्घी, वॉर्ड न0 –06, थाना–मुरलीगंज, जिला–मधेपुरा स्थित घर पर चौकीदार, लालचन्द, छोटा बाबू, उमाशंकर राय, एवं अन्य छह (06) पुलिस बल के द्वारा दिनांक–15.07.2022 को रात्रि 02:30 बजें घर में प्रवेश कर परिवार के महिला सदस्यों के साथ अभद्र व्यवहार किये जाने से सम्बन्धित है।

उपरोक्त पर **पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा** से प्रतिवेदन की माँग की गई। **पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा का अपने प्रतिवेदन में कथन है कि परिवादी, संतलाल ऋषिदेव, मुरलीगंज थाना काण्ड संख्या–535/22, दिनांक–22.12.2022 के प्राथमिकी अभियुक्त है तथा वह अन्वेषण के क्रम में फरार है। इसी तरह परिवादी के गोतिया/दियाद रोहित ऋषिदेव, व चुनचुन ऋषिदेव, मुरलीगंज थाना काण्ड संख्या–362/21, दिनांक–30.09.2021 के प्राथमिकी अभियुक्त है तथा ये दोनों अभियुक्त फरार चल रहे है। दिनांक–15.07.2022 को काण्ड के अनुसंधानकर्त्ता को गुप्त सूचना मिली कि परिवादी, संतलाल ऋषिदेव, ने अपने घर में उक्त दोनों अभियुक्तों को छिपाकर रखा। इस सूचना पर अनुसंधानकर्त्ता ने महाल चौकीदार, लालचन्द, एवं अन्य सशस्त्र बल के साथ में गिरफ्तार करने हेतु परिवादी के घर पर गये तो परिवादी, संतलाल ऋषिदेव, द्वारा गेट पर ही तरह–तरह का बहाना बनाकर कुछ देर के लिए पुलिस को गेट पर ही रोक दिया, तबतक घर से मुरलीगंज थाना काण्ड संख्या–362/21 के दोनों प्राथमिक अभियुक्त वहाँ से फरार हो गये। परिवादी को लगा कि पुलिस द्वारा इसके विरूद्ध कार्रवाई हो सकती है, तो उसके द्वारा कार्रवाई से बचने के लिए मनगढ़ंत आरोप लगाकर प्रसंगाधीन परिवाद दायर किया गया है।**

उक्त पर परिवादी से प्रत्युत्तर की माँग की गई। परिवादी द्वारा अपने प्रत्युत्तर में पुलिस प्रतिवेदन का प्रतिवाद किया गया है तथा पुनः उसका कथन है कि पुलिस द्वारा घर में महिलाओं के साथ घटना के समय दुर्व्यवहार किया गया।

आज राज्य आयोग के समक्ष उपस्थित परिवादी से घटना के सम्बन्ध में किसी भी तरह के प्रमाण/साक्ष्य की माँग की गई, तो परिवादी का कथन है कि उसके पास मारपीट से सम्बन्धित कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है।

अब जबकि प्रसंगाधीन मामले में पुलिस द्वारा एक आपराधिक काण्ड में संस्थित अभियुक्तों को गिरफ्तार करने के लिए छापामारी की गई है तो ऐसी परिस्थिति में प्रसंगाधीन मामले को राज्य आयोग के स्तर से संचिकास्त किया जाता है।

कार्यालय, आज पारित आदेश के साथ पुलिस अधीक्षक, सहरसा के प्रतिवेदन (पृष्ठ 13–12/प0) की प्रति संलग्न कर तद्नुसार परिवादी को सूचित कर दिया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
सदस्य

निबंधक